



दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में संचालित किये जा रहे ***गुड मॉर्निंग महोबा*** कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 26.03.2021 को जनपदीय पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कहकर लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे बड़े/बुजुर्ग/महिलाएं/बच्चों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं सुरक्षा का अहसास कराया गया।

गुड मॉर्निंग महोबा कार्यक्रम के तहत आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपदवासियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है जिससे प्रातःकालीन होने वाले अपराधों में कमी आयी है व लोगों का जनपदीय पुलिस पर विश्वास बढ़ रहा है।

समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों द्वारा छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि **'मित्र पुलिस'** के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।





दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार जनपद में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व होली त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगेस्टर/शातिर अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम के निर्देशन पर तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.03.2021 को **SHO** खरेला श्री विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अभियान में सम्मिलित होकर थाना चरखारी में पंजीकृत मु०अ०सं० 78/2021 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमशः गैंग लीडर 1.उमाशंकर राजपूत पुत्र ब्रगभान राजपूत उम्र 22 वर्ष व गैंग के सक्रिय सदस्य 2. अजय राजपूत पुत्र देव नारायण उम्र 28 वर्ष 3. राहुल राजपूत पुत्र नन्दकिशोर उम्र 25 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को बाद आवश्यक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार सिंह
2. उ०नि० सुमेर सिंह
3. का० राहुल यादव
4. का० हरेन्द्र यादव
5. का० सुशील कुमार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण...

1. उमाशंकर राजपूत पुत्र ब्रगभान राजपूत उम्र 22 वर्ष नि० अनघौरा थाना चरखारी
2. अजय राजपूत पुत्र देव नारायण उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी
3. राहुल राजपूत पुत्र नन्दकिशोर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बफरेता थाना चरखारी।





दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26/03/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव व होली त्यौहार के मद्देनजर चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र0नि0 अजनर द्वारा गठित टीम ने 02 नफर अभियुक्त **1. अजेन्द्र यादव पुत्र कल्याण सिंह उम्र 23 वर्ष 2. अमित कुमार यादव उर्फ बाबू पुत्र हमवीर सिंह निवासीगण ग्राम लडपुरा थाना अजनर जिला महोबा को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से 25 अदद क्वाटर देशी शराब नाजायज बरामद की गई ।** अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर क्रमशः मु.अ.स. 54/2021 व 55/2021 धारा 60 आबकारी एक्ट का अभियान पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अजेन्द्र यादव पुत्र कल्याण सिंह उम्र 23 वर्ष
2. अमित कुमार यादव उर्फ बाबू पुत्र हमवीर सिंह निवासीगण ग्राम लडपुरा थाना अजनर जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. रामप्रताप यादव
2. का. हरिओम यादव
3. का. जीतेन्द्र सिंह गौतम





दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा 01 नफर वाँछित अभियुक्त एवं 01 नफर वाँछित बाल अपचारी को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कोतवाली महोबा श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित टीम ने हमीरपुर चुंगी के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत **मु०अ०स० 42/21 धारा 457/380/411 भादवि व मु०अ०स० 72/21 धारा 457/380/411 भादवि** से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त संजय दत्त बहेलिया पुत्र स्व० अदरक बहेलिया उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ब्रजपुर थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर (म०प्र०) एवं 01 नफर बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया। **अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।** जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर **मु०अ०स० मु०अ०स० 156/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत** कर अभियुक्त व बाल अपचारी को माननीय न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. संजय दत्त बहेलिया पुत्र स्व० अदरक बहेलिया उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ब्रजपुर थाना सिविल लाइन जनपद छतरपुर (म०प्र०)

1. एक नफर बाल अपचारी हिरासत में।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० उपेन्द्र प्रताप सिंह
- 2- उ०नि० नीरज कुमार
- 3- हे०का० अनिल यादव
- 4- का० कुंजबिहारी



बरामदगी:-

- 1- अभियुक्त संजय दत्त उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ, 6400/- रुपये नगद 01 जोड़ी पायल, 01 कटोरी व 01 चम्मच समस्त सफेद धातु 01 हाय पीली धातु की।
- 2- बालअपचारी के कब्जे से 01 जोड़ी पायल, 01 जोड़ी कड़ा बच्चों के हाथ के समस्त सफेद धातु व 4000/- रुपये।



दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा 30 लीटर अवैध शराब सहित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 26/03/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी पंचायत चुनाव व होली त्यौहार के मद्देनजर चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० कोतवाली महोबा श्री अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित टीम ने आसरा कालोनी के सामने से 01 नफर अभियुक्त राजेश नामदेव पुत्र जगदीश नामदेव उम्र 23 वर्ष नि०मु० बड़ीहाट थाना कोतवाली महोबा के कब्जे से **10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद** हुयी एवं 02 नफर अभियुक्ताओ 1. श्रीमती सारिता कबूत्तरा पत्नी कल्लू कबूत्तरा उम्र 30 वर्ष 2. श्रीमती लक्ष्मी कबूत्तरा पत्नी जैनिया कबूत्तरा उम्र 28 वर्ष नि०गण लाल पहाडिया थाना कोतवाली महोबा के कब्जे से **10-10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद** हुयी। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः **मु०अ०स० 151/21, 153/21, 154/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राजेश नामदेव पुत्र जगदीश नामदेव उम्र 23 वर्ष नि०मु० बड़ीहाट थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।
2. श्रीमती सारिता कबूत्तरा पत्नी कल्लू कबूत्तरा उम्र 30 वर्ष
3. श्रीमती लक्ष्मी कबूत्तरा पत्नी जैनिया कबूत्तरा उम्र 28 वर्ष नि०गण लाल पहाडिया थाना कोतवाली महोबा जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
- 2- उ०नि० श्री तनवीर अहमद
- 3- उ०नि० श्री अनुराग पाण्डेय
- 4- उ०नि० श्री तनवीर अहमद
- 3- का० आकाश सिंह
- 3- का० उमाशंकर
- 4- म० का० मधु देवी



दिनांक:- 26.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारीगणों के निर्देशन में पंचायत चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर थाना क्षेत्रों में लगे पोस्टर/बैनर को हटवाया गया



आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में समस्त एसडीएम महोदय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री राजकुमार पाण्डेय मय पुलिस बल के साथ पंचायत चुनाव आचार संहिता के लागू होने के उपरान्त थाना क्षेत्रों में लगे होडिंग/बैनर/पोस्टर आदि को निकलवाया गया एवं सभी से आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिये गये। साथ ही जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त के दौरान संदिग्ध

वाहनों एवं व्यक्तियों की बार्डर के थानों द्वारा बैरियर लगाकर सघन चेकिंग की गई। यातायात नियमों के तहत **39 ई-चालान** भी किये गये।

